



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563; फैक्स नं.: 2231562, 2215089, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/ दिनांक 05/12/2017

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-19/2012 ...11.99..... चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाईजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, स्टेट बैंक भवन, जजेज कोर्ट रोड, पटना-1 के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा अनुलग्नक-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाईजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, स्टेट बैंक भवन, जजेज कोर्ट रोड, पटना-1 के उनकी उपविधियों में यथावर्णित पदों के लिए सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 07.01.2018 (रविवार) की तिथि नियत करता है तथा समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-1116 दिनांक 09.11.2017 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.10.2017 निर्धारित की गयी है, तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक क्रमशः 30.11.2017 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) निर्बंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- (ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

- (iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न मानक प्रपत्र-ई० 1 (अनुलग्नक-2) में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 13.12.2017 (बुधवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त समिति के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई० 6 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(फूल सिंह)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : ...1199..... पटना/ दिनांक 05/12/2017

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतिशत प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : ...1199..... पटना/ दिनांक 05/12/2017

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पटना/ वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/ भूमि सुधार उप समाहर्ता -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पटना सदर/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. भूमि सुधार उप समाहर्ता -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पटना सदर संलग्न निर्वाचन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं उसमें वर्णित प्रपत्रों का उपयोग करेंगे। सविरोध निर्वाचन की स्थिति में संलग्न मतपत्र का उपयोग किया जाएगा, जिसमें सदस्य निर्वाचित किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समक्ष (✓) का चिह्न लगायेंगे।

3. जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पटना से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियां अपने स्तर से भी भूमि सुधार उप समाहर्ता -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पटना सदर को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञापांक :1199..... पटना/ दिनांक05/12/2017.....
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

ज्ञापांक :1199..... पटना/ दिनांक05/12/2017.....
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक :1199..... पटना/ दिनांक05/12/2017.....
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

प्रतिलिपि: अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाईजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, स्टेट बैंक भवन, जजेज कोर्ट रोड, पटना-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक :1199..... पटना/ दिनांक05/12/2017.....
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ उप सचिव/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

अनुलग्नक-1

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, स्टेट बैंक भवन, जजेज कोर्ट रोड, पटना-1 के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	13.12.2017 (बुधवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	28.12.2017 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	29.12.2017 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी	30.12.2017 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	07.01.2018 (रविवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	07.01.2018 (रविवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०,
स्टेट बैंक भवन, जजेज कोर्ट रोड, पटना-1

प्रपत्र- ई०-1

सूचना का प्रपत्र

(प्रबंधकारिणी समिति के पदधारकों के निर्वाचन के लिए)

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, स्टेट बैंक भवन, पटना का निबंधन संख्या....., पताके प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है।

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 17 (सतरह) है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

पद		निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
(i)	अध्यक्ष	01 अनारक्षित
(ii)	उपाध्यक्ष	01 अनारक्षित
(iii)	सचिव	01 अनारक्षित
(iv)	संयुक्त सचिव	01 अनारक्षित
(v)	संगठन सचिव	01 अनारक्षित
(vi)	कोषाध्यक्ष	01 अनारक्षित
(vii)	सामान्य कोटि से निर्देशक	03 अनारक्षित, जिसमें से एक पद महिला के लिए आरक्षित
(viii)	पिछड़ा वर्ग कोटि से निर्देशक	02 आरक्षित, जिसमें से एक पद महिला के लिए आरक्षित
(ix)	अति पिछड़ा वर्ग कोटि से निर्देशक	03 आरक्षित, जिसमें से एक पद महिला के लिए आरक्षित
(x)	अनुसूचित जाति/ जनजाति कोटि से निर्देशक	03 आरक्षित, जिसमें से एक पद महिला के लिए आरक्षित
कुल		17 (सतरह)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता

(स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक बजे पूर्वाह्न से बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

(स्थान का नाम)

(नामांकन पत्र दाखिल की तिथि एवं समय)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तकबजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर बजे पूर्वाह्न से बजे अपराह्न तक की जायेगी।

(स्थान का नाम)

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को बजे अपराह्न से बजे अपराह्न के पूर्व तकपर दाखिल की जा सकती है।

(स्थान का नाम)

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतदान केन्द्र (पूरा पता) में अवस्थित होगा।

(viii) मतगणना दिनांककोबजे सेपर की जायेगी।

(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

**स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि.,
स्टेट बैंक भवन, जजेज कोर्ट रोड, पटना-1 के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना**

मतदान की तिथि -

पद -

मतपत्र का क्रमांक -

(यह निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतपत्र निर्गत करते समय अपने हाथ से भरा जायेगा। वर्ग विशेष में मतदाताओं की संख्या 100 से कम रहने पर क्रमांक-01, 02, 03 आदि अंकित किया जायेगा, 100 से 999 रहने पर 001, 002, 003, अंकित किया जायेगा तथा 999 से अधिक रहने पर 0001, 0002 आदि अंकित किया जायेगा)।

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	यहाँ (✓) का चिह्न लगायें
1	2	3

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील